लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
020/2022 (GCMS 2022/73)	23.03.2022	26.04.2022

अनवान

मानवेन्द्र सिंह चौहान निवासी शिव कॉलोनी, कासोद दरवाजा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 10.02.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./020/2022(सू.अ.)(19.04.2022) दिनांक 23.03.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को दिनांक 19.04.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 19.04.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखा जो कि इस प्रकार हैं–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुझ प्रार्थी मानवेन्द्र सिंह पुत्र भंवर पाल सिंह चौहान द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी निम्बाहेड़ा के समक्ष एक सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन 10 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि इसके प्रत्युत्तर में लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे 28 दिवस के पश्चात् 29वें दिन कार्यालय समय समाप्ति से 1 घंटे पूर्व व्यक्तिगत रूप से दिनांक 11 मार्च 2022 को नोटिस तामिल करवाया गया था। जिसमें सूचना शुल्क के रूप में 1 लाख 44 हजार 480 रूपये जमा करने का आदेश दिया गया था। इसके पश्चात् शनिवार एवं रविवार का अवकाश होने के कारण मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 14 मार्च 2022 को कार्यालय में राशि जमा करा कर उसकी रसीद प्राप्त की गई।
2. यह कि दिनांक 16 मार्च 2022 को सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में भी प्रार्थी द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही लोक सूचना अधिकारी महोदय उपखंड अधिकारी द्वारा नहीं की गई।
3. यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार 30 कार्य दिवस के भीतर शुल्क लेकर सूचना उपलब्ध कराए जाने का नियम है। इसके इतर यदि 30 कार्य दिवस पूरे होने पर सूचना मिलती है तो धारा 7(6) के अनुसार निःशुल्क सूचना आवेदनकर्ताको उपलब्ध कराया जाना कानून में उल्लेखित है।
4. यह कि मुझ प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने की नियत से जानबुझकर आवेदन प्राप्ति के 29 वें दिन शुल्क जमा कराने का नोटिस दिया। जिससे कि समय पर शुल्क जमा नहीं हो सके और आवेदन निरस्त किया जा सके।
5. यह कि यह भी उल्लेखित है कि शुल्क जमा कराए जाने 36 दिवस के पश्चात भी आज दिनांक तक मुझ प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा लोक सूचना सूचना अधिकारी द्वारा जानबुझकर देरी से जारी किए गए शुल्क जमा कराने के आदेश को निरस्त करा मुझ प्रार्थी से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानबुझकर वसूली गई नियम विरूद्ध राशि दिलवा कर निःशुल्क सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार उपलब्ध कराने का आदेश करने की अनुकंपा करावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संदर्भ में संबंधित लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अधिनियम की धाराओं के अनुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/आर.टी.आई/2022/219 दिनांक 18.04.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

1. यह कि अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2022 को उपखंड अधिकारी निम्बाहेड़ा से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई थी। यह स्वीकार है।
2. यह कि अपीलार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांक सू.का.अ. /2022/142 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा नियमानुसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्धारित राशि जमा करवाने हेतु लिखा गया। जिसकी तामिल व्यक्तिगत एवं व्हाट्स ऐप्स के माध्यम से करवायी गयी। उसके बाद अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.03.2022 को जमा करवाई गयी। यह स्वीकार है।

3. यह कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना विस्तृत (लगभग 72240 पेज) है। एक दिन में औसतन 2000 पेज की ही फोटोप्रति हो पा रही है। इसलिए प्रतिलिपि करवाने में अतिरिक्त समय लग रहा है।
4. यह कि फोटोप्रति तैयार होते ही प्रमाणित करकें अपीलार्थी को शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जवाब एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/आर. टी.आई/2022/219 दिनांक 18.04.2022 से प्रेषित कमेंट्स का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेन्ट्स के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना विस्तृत होने के कारण प्रतिलिपि करवाने में अतिरिक्त समय लग रहा है। इस कारण अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त समय चाहा गया है।

अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अत्यन्त विस्तृत (लगभग 72740 पेज) होने से कार्यालय समय में अन्य कार्यों के साथ वांछित सूचना की प्रतिलिपि करने में अधिक समय लगना संभव है। अतः अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना में देरी करने का तथ्य उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 3 दिवस में तैयार कर अपीलार्थी को उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.04.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-S/D-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official